बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

संचिका सं० स्था०2/04-03/2012 /पटना, दिनांक

प्रेषक,

जे०के०पी० सिंह,
निदेशक।

सेवा में,

उप निदेशक-सह-आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

विषय:- बिहार सरकार के विनियोग लेखें 2013-14 का विभिन्न अनुदानों/शीर्षों में अधिक व्यय किए जाने के संबंध।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि बिहार, सरकार के विनियोग लेखे 2013-14 में मांग संख्या 35, मुख्य शीर्ष 3454 के अन्तर्गत उपशीर्ष- 0003-राज्य सांख्यिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण वित्त आयोग विपत्र कोड-N/3454022050003 एवं उपशीर्ष 0101 समग्र सांख्यिकी विकास योजना-विपत्र कोड़ क्ष3454022050101 में क्रमशः 0.23 लाख एवं 61.44 लाख रुपये का अधिकाय व्यय प्रतिवेदित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के एक पक्ष के अन्दर उक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त आवंटन एवं वास्तविक व्यय का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ताकि त्रुटियों का निराकरण करते हुए इससे संबंधित प्रतिवेदन वित्त विभाग एवं महालेखाकार को भेजा जा सके। विदित हो कि निदेशालय के पत्रांक 546 दिनांक 06.05.2015 द्वारा आवंटित राशि की निकासी/व्यय एवं प्रत्यार्पण से संबंधित दिशानिर्देश प्रेषित करते हुए अधिकाय व्यय से बचने का निदेश दिया गया था। उक्त पत्र के कंडिका 2 में स्पष्ट अंकित था कि सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कोषागार से माह के अंत के उपरान्त अगले माह के प्रथम सप्ताह में विपत्र का टी०भी० नम्बर के साथ व्यय विवरणी प्राप्त कर उसका मासिक/त्रैमासिक सत्यापन/मिलान महालेखाकार से कराते हुए उसकी प्रति निदेशालय भेजना सुनिश्चित करेंगे। परन्तु समीक्षा में पाया गया है कि अधिकांश आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो चिन्ता का विषय है।

अतएव सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपशीर्ष-0003, राज्य सांख्यिकी तंत्र के सुदृढ़ीकरण- वित्त आयोग एवं 0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राप्त आवंटन, निकासी/व्यय का मिलान महालेखाकार कार्यालय में विशेष दूत को भेजकर कराते हुए तद्संबंधी प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें। ताकि स्पष्ट हो सके कि किस कार्यालय के भूल से यह अधिकाय व्यय प्रतिवेदित है। उपरोक्त निर्धारित तिथि के अनतर्गत सत्यापित प्रतिवेदन प्राप्त नही होने की स्थिति में आपके विरुद्ध अग्रेत्तर कार्रवाई प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक:- 908 /पटना, दिनांक 14.07.15

प्रतिलिपि:- सचिव(व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग

3. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को निदेशालय के साइट पर अपलोड कर दें।

(4774)

निदेशक